

15.05.23

पत्रावली पेश हुई।
वादीगण के वकील उप०। प्रतिवादी सं० ३/१,
३/२, ५/१/१ व ५/२/१ के वकील उप०। शेष
प्रतिवादीगण के सम्मन पूर्व आदेश माफिक
पेश करें, पेश करने पर जारी हो। वकील
वादीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश-३९
नियम-७ CPC वादते सर्वे करवाने वादग्रस्त
भूमि प्रस्तुत किया। पत्रावली वादते जवाब
व लखत ४ प्रार्थनापत्र आईदा २३/०५/२३
को पेश है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

23.05.23

पत्रावली पेश हुई।
वादीगण के वकील उप०।
वादीगण के वकील ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत
कर निवेदन किया कि लोक अदालत की
भावना से वादग्रस्त भूमि के संबंध में दोनों
पक्षों के मध्य आपस में सुलह हो चुकी है।
अतः वे वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना
चाहते हैं। वाद जारी विद्वैत खारिज किया
जावे

हमने पत्रावली का अवलोकन किया।
चूंकि वादीगण वाद की कार्यवाही जारी नहीं
रखना चाहते हैं। अतः वाद की कार्यवाही
जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

सिमाना वादीगण का वाद विद्वैत
किया जाता है।

पत्रावली के तल-सुमा होकर वादग्रस्त पत्रावली है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना